जिला परिषद कार्यालय, मुंगेर

सूखे पेड़ों की निलामी सूचना

संख्या : – जि0 प0 / 584 मुंगेर,दिनांक 01.10.2016

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषदीय डाक बंगला खड़गपुर के परिसर में गिरे आम का वृक्ष का निलामी किया जाना है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमण्डल मुंगेर के पत्रांक 2496 दिनांक 27.09.2016 द्वारा उक्त गिरे आम के वृक्ष का कुल आयतन 20.8143 घनमीटर का मूल्यांकन 99453.00 (निन्यानवे हजार चार सौ तिरपन) रूपये मात्र संसूचित किया गया है।

उक्त गिरे पेड़ की निलामी खुले डाक द्वारा निम्न रूपेण किया जायेगा।

क्र0	पेड़ का स्थल	पेड़ का आयतन	सुरक्षित जमा की राशि	जमानत की राशि	निलामी की तिथि एवं समय	डाक स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला परिषदीय डाक बंगला खड़गपुर (मुंगेर)	20.8143 घनमीटर	99453.00	24863.00	17.10.2016 2:00 बजे अपराहन्	जिला परिषद कार्यालय, सभा भवन मुंगेर

निलामी की शर्त्ते :–

1. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के समय सुरक्षित जमा राशि का एक चौथाई जमानत की राशि जमा करना अनिवार्य होगा
2. जमानत की राशि जमा करने के वक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र/स्वच्छता प्रमाण पत्र ,आवासीय प्रमाण पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक डाक वक्ता को तीन बोली लगाना अनिवार्य होगा।
4. डाक बोली की राशि सुरक्षित जमा की राशि से अत्यधिक हो जाने पर डाक के बीच में डाक वक्ता को उनके द्वारा बोली गई राशि डाक पटल पर जमा करने का निदेश दिया जा सकता है अगर वे राशि जमा करने में असमर्थ हो जाते है, तो उन्हें आगे की बोली नहीं बोलने दिया जायेगा और उन्हें डाक की कार्यवाही से बाहर कर दिया जायेगा।
5. सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण डाक की राशि जमानत की राशि के सामंजन के बाद अवशेष राशि एक मुस्त उसी दिन जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गयी राशि, जमानत सहित जप्त कर ली जायेगी।
6. यदि प्रथम उच्चतम डाकवक्ता, डाक की संपूर्ण राशि डाक समाप्ति के पश्चात जमा करने में असफल होते है तो द्वितीय उच्चतम, डाकवक्ता के साथ बंदोवस्ती करने का निर्णय लिया जा सकता है। वे बंदोवस्ती लेने के लिए वाध्य होगें। अगर वे बन्दोवस्ती नहीं लेते है तो उनकी जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
7. बन्दोवस्ती के समय किसी समस्या/व्यवधान उत्पन्न होने पर जिला परिषद मुंगेर के बन्दोवस्त पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे इस निमित अपना नियमम/निर्णय दें तथा उनका निर्णय सभी डाकवक्ता को मान्य होगा।
8. जिला परिषद, मुंगेर के अधिकारी को बंदोवस्ती के नियमों एवं शर्त्तो में परिवर्त्तन/संशोधन अथवा वन्दोवस्ती को रद्द /स्थगित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. जिला परिषद मुंगेर की स्वीकृति के पश्चात बंदोवस्तदार की बंदोवस्ती अमल मे आयेगा।

30.9.16
जिला अभियन्ता
मुंगेर

30.9.16

30.9.16
उप विकास आयुक्त– सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, मुंगेर

mangoes tree auction notice(30-9-16).docx